न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर, जिला भरतपुर
पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.
वाद सं. 83/16

केसरी सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जाट नि. पीरावा तहसील नगर जिला भरतपुर .. वादी

बनाम

1. प्रेम सिंह पुत्र निहाल सिंह
2. श्रीमती राजो पुत्री निहाल सिंह] जाति जाट नि. ग्राम पीरावा तहसील नगर जिला भरतपुर
3. लोकेन्द्र सिंह
4. मान सिंह
5. जगन] नवासे निहाल सिंह] पिता मधुराज सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला बमला
6. पिंकी
7. रिंकी] नवासी निहाल सिंह
8. फूलवती पुत्री मूली जाति जाट निवासी ग्राम पीरावा तहसील नगर जिला भरतपुर
9. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर भरतपुर
10. तहसीलदार तहसील नगर (भरतपुर) .. प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89
राजस्थान काश्तकारी अधि०

उपस्थित
श्री केशरसिंह अधिवक्ता वादी
• पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक . 25.5.2018

वादी ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया कि हाल आ. ख. नं. $\frac{121}{0.99}$ वाके ग्राम जगडका तहसील नगर जिसमें वादी 45/48 हिस्सा तथा तरतीमी प्रतिवादी सं. 3 प्रेमसिंह 15/48 हि. तथा तरतीमी प्रति. सं. 4 श्रीमती राजो 45/48 हिस्सा, एवं तरतीमी प्रति० सं. 5,6,7,8,9 के हि बराबर 5/48. प्रति. सं. 10 फूलवती 1/12 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज है. लेकिन तरतीमी प्रति. द्वारा वादी को हमेशा हमेशा को कब्जा करने हेतु दे देने से वादी मौके पर 1/2 हिस्से पर -

उपखण्ड अधिकारी
... राज.

इसलिए इन्द्राज काबिल दुरुस्ती कानून व राजस्व मामला हो रहा है। ग्राम नक्शा सं. 121/0.99 वाके ग्राम जगडका तहसील नगर में 16, रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से बकायदा गया है और वादी के काश्त चली, इस मामले सिंह के नाम खसरा खातेदारी की जमाबंदी की नकल सं. 2010 से 2017 में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज है। वादी को सि. रा. के लगातार वादी के काबिल काश्त रहने से कानूनन ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन गैर कानूनी रूप से वादी एवं तरमीमी प्रति को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जिससे उनके कानून हक तलफी हो रही बावत डिक्री डिक्लेरेशन पाने के अधिकारी है। अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर आ. ख. नं. 121/0.99 वाके ग्राम जगडका तहसील नगर के 1/2 हिस्सा पर हो रहे और खातेदारी के इन्द्राज तरमीमी प्रति. के नाम को कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो दिनांक 2.12.16 को प्रमाणित किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से इनकाल दावा प्रस्तुत हुआ तथा प्रतिवादी सं. 9, 10 का दिनांक 30.3.17 को जवाब बंद किया गया।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं. 2071-74 प्रदर्श-1, नकल खसरा शीप सं. 2004 प्रदर्श-2, नकल खसरा शीप सं. 2009 प्रदर्श-3, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2013 प्रदर्श-5, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2017 प्रदर्श-6, खसरा गिरदावरी सं. 2021 प्रदर्श-7, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2026 प्रदर्श-8, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2029 प्रदर्श-9, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2032 प्रदर्श-10, नकल जमाबंदी सं. 2024 प्रदर्श-11, नकल जमाबंदी सं. 2012 प्रदर्श-12, नकल जमाबंदी सं. 2016 प्रदर्श-13, नकल जमाबंदी सं. 2018 प्रदर्श-14, नकल खसरा पनाह रं. प्रबंध योजना सं. 2027 प्रदर्श-15 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी देवी सिंह PW1, का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा गवाह सुरेश पुत्र मदन सिंह PW2 एवं पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्याम PW3 के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(नगर) राज.

— 3

हमने राजस्व [illegible] अवलोकन [illegible] सा.
2018 [illegible] की [illegible] प्रति तथा
पत्रावली [illegible] अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं.
2071-74 [illegible] के खाता सं. 282 में ख० नं. 121/0.99 की आराजी
" [illegible] खड़ग सिंह [illegible]
खड़ग सिंह [illegible] खड़ग सिंह [illegible]
5/12 [illegible] निहाल सिंह [illegible] पुत्री निहाल सिंह
15/48 [illegible] लोकेन्द्र सिंह [illegible] निहाल सिंह [illegible]
[illegible] निहाल सिंह [illegible] 5/48 हरदेई [illegible] पुत्री
1/6 [illegible] पीराका गैर खातेदार" दर्ज होना पाया जाता
है। नकल [illegible] सं. 2027 [illegible] 15 के अनुसार
हाल ख० नं. 121/0.99 साबिक ख० नं. 141 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा
से बनाया जाना साबित होता है तथा कॉलम नं. 23, 24 नाम
कृषक में — "खड़ग सिंह व श्रीचंद व निहाल सिंह पिसरान मूली जाति जाट
सा. पीराका बहिस्से बराबर गैर खातेदार" दर्ज है। नकल जमाबंदी सं. 2026
[illegible]-11 के खाता सं. 50 में साबिक ख० नं. 141 रकबा 5 बी. 10 बिस्वा
की बाबत — "खड़ग सिंह, श्रीचंद, निहाल सिंह पिसरान मूली कौम जाट
सा. पीराका बहिस्सा बराबर गैर खातेदारान" दर्ज होना पाया जाता
है। इस प्रकार वि० आ० पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति होना साबित
है। पक्षकारान ने पारिवारिक बटवारा के अनुसार राजीनामा
प्रस्तुत किया है जो न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.16 को
प्रमाणित किया जाकर पत्रावली पे शामिल किया गया है।
उक्त राजीनामा में पक्षकारान ने अंकित किया है कि वि० आरा
ख० नं. 121/0.99 वाके ग्राम जगाड़का में वादी एवं तरमीमी प्रतिवादी
1/2 हिस्सा पर गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड है
तरमीमी प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात
को वादी के हिस्से में देना स्वीकार किया है तथा मौके
पर वादी का ही कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है।
इस प्रकार वि० आ० के 1/2 हिस्सा पर वादी का ही कब्जा
काश्त होना साबित है, जहाँ तक वादी को गैर खातेदार
के स्थान पर खातेदार घोषित करने का प्रश्न है, इस
सम्बंध में नकल जमाबंदी सं. 2012 के कॉलम नं. 4 के
हो रहे अंकन "नजूल लैंड नहर हैड सिंह कॉमन गैर कालोनी
साबिक हेड गैर कालोनीज राजस्थान गवर्नमेंट [illegible]
डिपार्टमेन्ट काबिज" के अनुसार विवादित आराजी का —

— 4

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] राज०

कस्टोडियन भूमि होना साबित होता है तथा राज्य सरकार द्वारा कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी दिये जाने बाबत प्रधान से नियम बनाये हुए है, जिस पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक/प.1(15) राज० पुनर्वास 2007 जयपुर दिनांक 30.3.12 के अनुसार ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार वि० बि० की बाबत उपरोक्त अनुसार समस्त विवेचनानुसार दावा वादी मुताबिक पारिवारिक बटवारा व राजीनामा के अनुसार आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि —

दावा वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख.नं. 121/0.79 वाके ग्राम जगडका तहसील नगर में से प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा पर गैर-खातेदार घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार फर्द डिक्री जारी हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 25.5.2018 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०